

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर,  
जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क79ए/2016  
संस्थित दिनांक-28.04.2014  
फा.नंबर-234003002722014

श्रीमती फूलवासन उम्र-58 वर्ष, पति श्री सीताराम जाति अहीर,  
निवासी ग्राम लोरमी, प.ह.नं.37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....वादी

**:: विरुद्ध ::**

1. पूरनसिंह उम्र-80 वर्ष पिता स्व० अगनूसिंह, जाति अहीर,  
2. छन्नूलाल उम्र-35 वर्ष पिता पूरनसिंह, जाति अहीर,  
3. श्रीमती मीनाबाई उम्र-32 वर्ष पति श्री छन्नूलाल, जाति अहीर,  
4. कपिल उम्र-25 वर्ष पिता श्री फूलसिंह, जाति अहीर,  
सभी निवासी ग्राम लोरमी, प.ह.नं.37, रा.नि.मं. बिरसा,  
तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)  
5. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा-श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट  
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।

.....प्रतिवादीगण

**:: निर्णय ::**

**(दिनांक 08.09.2017 को घोषित)**

**01-** यह वाद मौजा लोरमी, प.ह.नं.37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर-42/4 रकबा 0.65/0.263, खसरा नंबर-42/11 रकबा 0.65/0.263, खसरा नंबर-89/4 रकबा 1.00/0.405, खसरा नंबर-89/6 रकबा 1.97/0.798, खसरा नंबर-89/7 रकबा 1.53/0.619, खसरा नंबर-105/3 रकबा 0.65/0.263, खसरा नंबर-105/4 रकबा 1.83/0.742, खसरा नंबर-125/10 रकबा 2.00/0.809 के हक घोषणार्थ, अंश निर्धारण कर कब्जा प्राप्ति, रजिस्ट्री दिनांक 07.12.2011, रजिस्ट्री दिनांक 30.10.2012, रजिस्ट्री दिनांक 27.09.2013 एवं संशोधन दिनांक 10.11.2011, दिनांक 11.01.2013 एवं दिनांक 02.01.2014 को शून्य घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**02-** वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित

स्थान के निवासी होकर कृषक है। प्रतिवादीगण मूल पुरुष पूरन से उत्पन्न वारसान है। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा नाजायज तरीके से वादी के हक को समाप्त करने की नियत से राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है, जिसे काटा जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर दर्ज किया जाकर अंश निर्धारित किये जाने के संबंध में रजिस्ट्री दिनांक 07.12.2011, रजिस्ट्री दिनांक 30.10.2012, रजिस्ट्री दिनांक 27.09.2013 एवं संशोधन दिनांक 10.11.2011, दिनांक 11.01.2013 एवं दिनांक 02.01.2014 को प्रभावशून्य घोषित किया जावे। वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 की पुत्री है तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 प्रतिवादी क्रमांक 01 का पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रतिवादी क्रमांक 01 की बहू तथा प्रतिवादी क्रमांक 04 प्रतिवादी क्रमांक 01 का पोता(नाती) है।

**03—** प्रतिवादी क्रमांक 01 से दो पुत्र छन्नूलाल व फूलसिंह तथा एक पुत्री फूलवासन उत्पन्न संतान है, जिसमें से फूलवासन बड़ी पुत्री है। फूलवासन के लिये पूरनसिंह के द्वारा सिंगनपुरी निवासी सीताराम को जो कि रिस्ते में सगा भांजा है, को घर जवाई के रूप में लाकर फूलवासन के साथ विवाह कर उसे अपने घर में बतौर घर दामाद रखा गया है। विगत 45 वर्षों से बतौर घर दामाद सीताराम मौजा लोरमी में आकर पूरनसिंह व उसके परिवार के लोगों के साथ रहते हुए, उनकी सेवा-जाप्ता करते चले आ रहा है। पूरनसिंह की दो पत्नियाँ थी, जिसमें से बड़ी पत्नी सधियाबाई से एक पुत्र फूलसिंह और पुत्री फूलवासन उत्पन्न संतान है तथा द्वितीय पत्नी बिरजबाई से एक मात्र पुत्र छन्नूलाल उत्पन्न संतान है।

**04—** वादी फूलवासन के पति सीताराम को जब से जवाई के रूप में अपने घर में रखा गया है, तब से लगातार पूरनसिंह द्वारा अपनी पत्नी के साथ पूरनसिंह की सेवा-जाप्ता की जाकर उसकी चल-अचल संपत्ति की देख-रेख एवं मेहनत मजदूरी कर दोनों छोटे सालों की शादी विवाह का खर्च वादी एवं उसके पति द्वारा किया गया। फूलवासन की शादी के समय छन्नूलाल एवं फूलसिंह छोटे थे, तभी से सीताराम को चल-अचल संपत्ति का हक-हिस्सा देना कहकर लाया गया था, इसलिये सीताराम को मौजा सिंगनपुरी की चल-अचल संपत्ति का हक, हिस्सा नहीं दिया गया, जिससे वादी का पति मौजा लोरमी स्थित ससुराल की संपत्ति पर अपने परिवार सहित आश्रित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने सुविधा को देखते हुए पृथक-पृथक मकान एवं हाता-बाड़ी बना लिये हैं। वादी का लगभग 0.50 डिसमिल भूमि पर मकान एवं हाता-बाड़ी है। मूल पुरुष पूरनसिंह की चल व अचल संपत्ति पर प्रत्येक प्रतिवादीगण के समान हक व हिस्सा वादी का भी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 को

लाभ पहुँचाने की नियत से वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में बिना मावजाना की राशि प्राप्त किये उनके पक्ष में करायेनामा रजिस्ट्री कर नाम दर्ज करवा लिया गया है, ताकि वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर वादी को हक न देना पड़े।

**05—** वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कर रिकार्ड अलग-अलग दुरुस्त कराने कहा गया, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कहा गया कि बाद में बंटवारा कर रिकार्ड दुरुस्त करवा लेंगे, जिसका विश्वास कर वादी चुप रही। पूरनसिंह पिता अगनू के नाम मौजा लोरमी प.ह.नं.37 में कुल भूमि 1028 डिसमिल, राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसमें से प्रत्येक वारसान को 2.57 एवं 2.57 डिसमिल भूमि का हक, हिस्सा प्राप्त होता, इसलिये वादी 1/4 अर्थात् 2.57 डिसमिल भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है। मूल पुरुष के तीन उत्पन्न जीवित संतान फूलवासनबाई, फूलसिंह तथा छन्नूलाल वादग्रस्त भूमि को चार भागों में विभाजन कर प्राप्त करने के अधिकारी है।

**06—** वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 को जनवरी, 2014 को भूमि विभाजन के संबंध में कहे जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा लड़ाई-झगड़ा कर कहा गया कि उनका यहाँ पर कोई हक, हिस्सा नहीं है, उन्होंने संपूर्ण भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है और तुमसे जो बनता है, कर लो, तब वादी को शंका होने पर संबंधित हल्का पटवारी से जानकारी लेने पर राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी हक अधिकार के संपूर्ण भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है तथा वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं कराया गया है और वादी को उसके हक व अधिकार की भूमि से वंचित कर दिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा बरायनाम विक्रय पत्र तहरीर कर बिना मावजाने की राशि प्राप्त किये विक्रय पत्र का पंजीयन प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 के पक्ष में कराया गया है, जिसके कारण प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 द्वारा चोरी-छिपे अपने नाम से राजस्व अभिलेख दुरुस्त करवा लिये हैं एवं बिना इस्तेहार प्रकाशन व समस्त वारसानों की जानकारी लिये बिना प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा संशोधन प्रमाणित कर दिया गया है जो वादी पर बंधनकारी नहीं है।

**07—** प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 के पक्ष में कराया गया संशोधन तथा कराई गई रजिस्ट्रीयों को प्रभावशून्य घोषित किया जावे। वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में वादी का नाम दर्ज किया जावे, जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके रहवासी मकान तथा हाता-बाड़ी से बेदखल न किया जा सके। अतः वादी को वादपत्र में दर्शाई गई वादग्रस्त भूमि पर 1/4 भाग की अंशधारी होने की घोषणा एवं रजिस्ट्री

दिनांक 07.12.2011, रजिस्ट्री दिनांक 30.10.2012, रजिस्ट्री दिनांक 27.09.2013 एवं संशोधन दिनांक 10.11.2011, दिनांक 11.01.2013 एवं दिनांक 02.01.2014 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

**08—** पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने यह कहा है कि खसरा नंबर 42/4 रकबा 0.65, खसरा नंबर-42/11 रकबा 0.65, खसरा नंबर-89/4 रकबा 1.00 एकड़, खसरा नंबर-89/6 रकबा 1.97, खसरा नंबर-89/7 रकबा 1.53, खसरा नंबर-105/3 रकबा 0.65, खसरा नंबर-105/4 रकबा 1.83, खसरा नंबर-125/10 रकबा 2.00 कुल 10.28 एकड़ मौजा लोरमी, प.ह.नं.37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्व-अर्जित भूमि है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा वादी के लिये सीताराम को घर जवाई नहीं लाया गया था और ना ही भूमि पर कोई हिस्सा दिया गया था। प्रतिवादीगण के हक, हिस्से को वादी हड़पना चाहती है। प्रतिवादीगण का आपसी विभाजन आज से 10 साल पहले हो चुका था और सभी प्रतिवादीगण का निवास एवं खानपान अलग-अलग हो गया था, किन्तु पूरनसिंह द्वारा अपनी भूमि का विभाजन किसी भी पुत्र या पुत्री को नहीं दिया गया था। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्व-अर्जित भूमि होने से उसके जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 द्वारा कभी हक, हिस्से की मांग नहीं की गई। प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा भूमि के हिस्से के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 01 से बात की गई थी, जिसपर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने कहा था कि वह अपने जीवनकाल तक अपनी भूमि का विभाजन अपने पुत्र एवं पुत्री को नहीं देगा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि का विभाजन उन लोग कर लेना।

**09—** प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपनी घरेलू आवश्यकता के लिये भूमि विक्रय करने हेतु निकाला, तब प्रतिवादी क्रमांक 02 छन्नूलाल ने कहा कि भूमि विक्रय कीमती राशि वह देने को तैयार है और तुम किसी अन्य व्यक्ति को भूमि विक्रय मत करो, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा खसरा नंबर 42/4 में से 0.65 एकड़, खसरा नंबर 89/4 में से 1.97 एकड़, खसरा नंबर 105/3 में से 0.64 कुल 3.26 एकड़ भूमि एक लाख रुपये, प्रतिवादी क्रमांक 03 मीनाबाई ने खसरा नंबर 125/4 में से 2.00 एकड़ में भूमि 90 हजार रुपये, प्रतिवादी क्रमांक 04 खसरा नंबर 42/4 रकबा 0.65 डिसमिल, खसरा नंबर 89/4 में से रकबा 1.93 एकड़, खसरा नंबर 125/4 रकबा 1.83 एकड़ कुल 4.01 एकड़भूमि 1,50, 000/- रुपये में प्रतिवादी क्रमांक 01 से कय कर रजिस्टर्ड बयनामा के तहत भूमि का कब्जा मालिकी प्राप्त कर वादी की जानकारी में

मालिक-काबिज होकर कास्त कर रहे है, परन्तु वादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 की उक्त भूमि पर नामांतरण प्राप्त होने पर भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 द्वारा विधिवत् मावजाने की राशि अदा कर प्रतिवादी क्रमांक 01 से भूमि क़य की गई है, जिसपर वादी का कोई हक, अधिकार नहीं है।

**10-** वादग्रस्त भूमि 10.28 एकड़ पर वादी का कोई हक, अधिकार नहीं है और ना ही 1/3 अंश निर्धारण करवाकर हक, हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। वादी द्वारा विक्रय पत्र पाने घोषणार्थ, संशोधन दिनांक 10.11.2011, दिनांक 11.01.2013 एवं दिनांक 02.01.2014 को शून्य घोषित करने एवं भूमि का अंश विभाजन किया जाकर कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अवधि बाह्य होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है।

**11-** न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी को मौजा लोरमी, प.ह.नं.37, रा. नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 42/4, 42/11, 89/4, 89/6, 89/7, 105/3, 125/4 व 125/10 रकबा क्रमशः 0.65, 0.65, 1.00, 1.97, 1.53, 0.65, 1.83 व 2.00 एकड़ भूमि के 1/4 भाग पर स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं
2.	क्या उक्त विवादित भूमि के 1/4 अंश का वादी से पृथक से बंटवारा कराकर आधिपत्य प्राप्त करने की हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
3.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की रजिस्ट्री दिनांक 07.12.2011, 30.10.2012 व दिनांक 27.09.2013 वादी के लिये प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित नहीं



4.	क्या उक्त विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में किया गया संशोधन दिनांक 10.11.2011, दिनांक 11.01.2013 एवं दिनांक 02.01.2014 वादी के लिये प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित नहीं
5.	क्या वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण पोषणीय नहीं है ?	प्रमाणित नहीं
6.	क्या वाद अनुचित मूल्यांकन के कारण पोषणीय नहीं है ?	प्रमाणित नहीं
7.	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं
8.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 22 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।

#### **विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-07 का निष्कर्ष**

12. वादी फूलवासन वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि जनवरी, 2014 को उसके द्वारा पुनः प्रतिवादी क्रमांक 01 को भूमि विभाजन करने के संबंध में कहे जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा लड़ाई-झगड़ा कर उसके हक से इंकार कर दिया गया, तब गांव समाज के लोगों को उक्त बात बताई गई और संदेह होने पर संबंधित हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त करने पर जानकारी मिली की वादी का नाम छोड़कर प्रतिवादीगण का नाम भूमि पर दर्ज करा लिया गया है। उक्त मीटिंग संबंधी तथ्यों का समर्थन सभी वादी साक्षियों ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में किया है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में उक्त तथ्य को अस्वीकार कर वाद के परिसीमा से बाहर होने के अभिवचन किये गये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही वादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में उक्त संबंध में कोई तथ्य लाये गये हैं। उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि वादी को उक्त संबंध में पूर्व से जानकारी थी। ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति के संबंध में क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि राजस्व प्रलेखों के संबंध में अद्यतन जानकारी हो। अपने अभिवचनों के संबंध में वादी के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, जिससे वाद परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में प्रस्तुत होना सिद्ध होता है। परिणामस्वरूप विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 07 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

### **विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-06 का निष्कर्ष:-**

**13-** वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हक घोषणार्थ तथा अंश निर्धारण एवं संशोधन दिनांक 10.11.2011, 11.01.2013 एवं 02.01.2014 तथा रजिस्ट्री दिनांक 07.12.11, 30.10.2012 एवं 27.09.2013 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु मूल्यांकन 1000-1000/- रुपये तथा अंश अनुसार विभाजन किया जाकर कब्जा हेतु लगान 4.20 रुपये का बीस गुना अर्थात् 84 रुपये पर वांछित न्यायालय शुल्क 2600/- रुपये चर्प्पा किया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा पर्याप्त वांछित शुल्क चर्प्पा नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही वादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य लाये गये हैं। प्रकरण के अवलोकन से वादी द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा-7(iv)(c) तथा धारा-7(v) के अनुसार उचित न्यायालय शुल्क चर्प्पा किया जाना प्रतीत होता है, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-06 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

### **विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-05 का निष्कर्ष:-**

**14.** प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2016 को उक्त अतिरिक्त वादप्रश्न की विरचना के पश्चात आदेश दिनांक 17.10.2016 के माध्यम से वादी द्वारा प्रकरण में उक्त वादप्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी साक्ष्य के प्रक्रम पर अतिरिक्त प्रतिवादी फूलसिंह को संयोजित किया। उक्त पक्षकार द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादी साक्ष्य लिया जाकर प्रकरण का विचारण पूर्ण किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण का विचारण सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में किया जाना प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में पश्चात में कोई आक्षेप नहीं किया गया और ना ही अपनी साक्ष्य में किसी अन्य पक्षकार के संबंध में कोई लेख किया गया है। फलतः प्रकरण का निराकरण सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में होने से विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

### **विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01, 02 व 03 का निष्कर्ष**

**15-** वादी फूलवासन वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि विवादित भूमि उसकी खानदानी भूमि है, जो खसरा नंबर-42/4 रकबा 0.65/0.263, खसरा नंबर-42/11 रकबा 0.65/0.263, खसरा नंबर-89/4 रकबा 1.00/0.405, खसरा नंबर-89/6 रकबा 1.97/0.798, खसरा नंबर-89/7 रकबा 1.53/0.619, खसरा नंबर-105/3 रकबा 0.65/0.263, खसरा नंबर-105/4 रकबा 1.83/0.742, खसरा नंबर-125/10 रकबा 2.00/0.809 मौजा लोरमी, प.ह.नं.37, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित है। वह मूल पुरुष पूरनसिंह

की संतान है तथा उसके अलावा पूरनसिंह के दो पुत्र फूलसिंह व छन्नूसिंह हैं। फूलसिंह के पुत्र का नाम कपिल है तथा छन्नूलाल की पत्नी का नाम मीनाबाई है, जो मौजा लोरमी में निवास करते हैं उसके लिए मूल पुरुष पूरनसिंह द्वारा रिश्ते के भांजे सिंगनपुरी निवासी सीताराम को लगभग 12 वर्ष की उम्र में घर जवाई के रूप में रखा गया है तथा बालिग होने पर उसके साथ विवाह कर दिया गया, जिसके पश्चात विगत 45 वर्षों से बतौर घर जवाई सीताराम द्वारा उसके साथ रहकर पूरनसिंह व परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा-जाप्ता की जाती रही और पूरनसिंह की संपत्ति की देख-रेख की गई। उसके तथा सीताराम द्वारा मेहनत-मजदूरी की जाकर दोनों भाईयों की शादी विवाह किया गया। सीताराम को अचल संपत्ति में हिस्सा देने की बात कहकर ग्राम सिंगनपुरी से उसके माँ-बाप के घर से लाया गया, जिस कारण उसे वहां से किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं मिला। इस प्रकार वह अपने पति सहित मौजा लोरमी स्थित वादग्रस्त भूमि के अंश पर ही आश्रित है, जिसपर खेती का कार्य कर परिवार का भरणपोषण किया जाता है और सुविधा हेतु दी गई 0.5 डिसमिल भूमि पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि के खानदानी होने के कारण उसका प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 के समान हक व हिस्सा है, जिसे समाप्त करने के आशय से प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 व 04 द्वारा बिना किसी राशि के प्रतिवादी क्रमांक 01 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर करवा लिया गया है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं होने दी गई और चोरी-छिपे रजिस्ट्री कराकर कब्जा पूर्ववत् रखा गया है, ताकि किसी को पता न चल सके। उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 को बंटवारा कर नाम दर्ज करवाने की बात कहने पर हमेशा टाल-मटोल किया जाता है।

**16—** वादी फूलवासन वा.सा.01 के अनुसार जनवरी, 2014 में उसके द्वारा पुनः प्रतिवादी क्रमांक 01 को भूमि विभाजन के संबंध में कहे जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा लड़ाई-झगड़ा कर हिस्से से इंकार कर दिया गया, जिस पर अन्य लोगों को जानकारी देने के पश्चात उसके द्वारा राजस्व प्रलेखों की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि प्रतिवादीगण द्वारा अपना नाम दर्ज करवाकर उसका नाम छोड़ दिया गया है, जबकि खानदानी भूमि पर 1/4 अंश की हकदार है। अतः हक घोषणार्थ तथा विधि-विरुद्ध किये गये रजिस्ट्री एवं संशोधनों को शून्य घोषित किये जाने हेतु उसके द्वारा वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। उसने वाद के समर्थन में रजिस्ट्री दिनांक 22.10.12 तथा पंजीयन दिनांक 30.10.2012 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.01, रजिस्ट्री दिनांक 07.12.2011 प्र.पी.02, रजिस्ट्री दिनांक 27.09.2013 प्र.पी.03, संशोधन पंजी क्रमांक 6/147 दिनांक 10.11.2011 प्र.पी.04, संशोधन पंजी क्रमांक 10/138 दिनांक 11.01.2013 प्र.पी.05, संशोधन पंजी क्रमांक दिनांक 02.01.2014 प्र.पी.06 तथा वादग्रस्त भूमि का पांचसाला खसरा पेश किया है। उक्त कथनों का समर्थन उमेन्द्रसिंह वा.सा.02, बिसेलाल वा.सा.03,



कंडरासिंह वा.सा.04 तथा अधरसिंह वा.सा.05 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

**17—** प्रतिवादी छन्नूलाल प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके पिता की स्व-अर्जित भूमि है। उसके पिता की दो पत्नियाँ थी, जिसमें पहली पत्नी सधियाबाई से फूलसिंह तथा वादी उत्पन्न हुये तथा दूसरी पत्नी बिरजबाई से वह एकमात्र पुत्र है। पूरनसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि में से कोई हक बंटवारा किसी भी पुत्र-पुत्री को नहीं दिया गया और ना ही वादी के लिये सीताराम को घर जवाई लाकर भूमि, मकान दिया गया। पूरनसिंह द्वारा 10 वर्ष पूर्व हिस्सा बंटवारा करने पर उन लोगों का खान-पान एवं निवास अलग-अलग हो गया, परंतु भूमि का विभाजन नहीं किया गया, क्योंकि पूरनसिंह द्वारा यह कहा गया था कि अपने जीवनकाल में भूमि का उपभोग उसके द्वारा इच्छानुसार किया जावेगा तथा मरने के बाद ही वारिस को अधिकार होगा। पूरनसिंह द्वारा घरेलू आवश्यकता हेतु विक्रय की इच्छा प्रकट करने पर वांछित राशि हेतु तैयार होने पर उसके द्वारा खसरा नंबर 42/4 में से 0.65 एकड़, खसरा नंबर 89/4 में से 1.97 एकड़ तथा खसरा नंबर 105/3 में से 0.64 एकड़ कुल खसरा 3.26 डिसमिल भूमि एक लाख रुपये प्राप्त कर पूरनसिंह द्वारा उसके पक्ष में रजिस्ट्री की गई, जिसपर वह मालिक-काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसी प्रकार उसकी पत्नी मीनाबाई द्वारा खसरा नंबर 125/4 में से 2.00 एकड़ भूमि 90 हजार रुपये में तथा कपिल द्वारा खसरा नंबर 42/4 में से 0.65 डिसमिल, 89/4 में से 1.93 एकड़ तथा खसरा नंबर 125/4 में से 1.83 एकड़ कुल 4.00 एकड़ भूमि एक लाख रुपये विधिवत क्रय करने के पश्चात मालिक-काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं, जो कि वादी की जानकारी में था। क्रय करने के पश्चात राजस्व प्रलेखों में उनका नाम दर्ज हुआ। वादी विवाह के पश्चात अपने ससुराल ग्राम सिंगनपुरी में अपने पति के साथ निवासरत है, जो मात्र सामाजिक कार्यों हेतु कुछ दिनों हेतु पूरनसिंह के घर निवास करती है। वादी द्वारा उसके पिता की कभी भी कोई सेवा-जाप्ता नहीं की गई, अपितु उसके द्वारा अपने पिता पूरनसिंह एवं अपनी माता बिरजबाई की सेवा की जा रही है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा और ना ही उसके पिता के द्वारा उसे कोई भूमि मकान दिया गया था। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई हक अधिकार नहीं है और उसके द्वारा उनके हक अधिकार की भूमि को हड़पने की नियत से झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त दावे के कारण हुई आर्थिक क्षति हेतु सभी प्रतिवादीगण 10-10 हजार रुपये व्यय प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

**18—** प्रतिवादी छन्नूलाल प्र.सा.01 के अनुसार उसने जवाबदावा के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 प्र.डी.01, खसरा वर्ष 1992-93 से 96-97 प्र.डी.02, खसरा वर्ष 2014-15 प्र.डी.03, किश्तबंदी वर्ष 2014-15 प्र.डी.04, रजिस्ट्री दिनांक 07.12.2011, 30.10.2012 तथा दिनांक 27.09.2013 की मूल प्रति प्र.डी.05 लगायत प्र.डी.07, नक्शा प्र.डी.08, खसरा वर्ष 2014-15 प्र.डी.09, किश्तबंदी वर्ष 2014-15 प्र.डी.10, नक्शा प्र.डी.11 तथा प्र.डी.12, खसरा तथा किश्तबंदी वर्ष 2014-15 प्र.डी.13 व प्र.डी.14 पेश किया है। उक्त कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी भगत प्र.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है, जबकि प्रतिवादी साक्षी चन्द्रकांत प्र.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में यह व्यक्त किया है कि पूरनसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि में से छन्नूलाल को 3.26 डिसमिल, मीनाबाई को 02.00 एकड़ तथा कपिल को 4.00 एकड़ भूमि विक्रय किया गया था, जिसकी रजिस्ट्री की लिखा-पढ़ी बैहर में हुई थी। लिखा-पढ़ी होने के बाद पूरनसिंह द्वारा रजिस्ट्री पर अंगुठा अंकित किया गया था तथा उसके पश्चात उसके तथा हंसलाल के द्वारा साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये गये थे। विक्रय के प्रतिफल स्वरूप पूरनसिंह द्वारा छन्नूलाल से एक लाख रुपये, मीनाबाई से 90 हजार रुपये तथा कपिल से 1.50 लाख रुपये लिये गये थे और उक्त विक्रय वादी की जानकारी में किया गया था।

**19—** वादग्रस्त भूमि पर अधिकार हेतु सर्वप्रथम वादी को यह दर्शित करना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। संपूर्ण प्रकरण में वादी साक्षियों द्वारा वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने के मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं। भूमि के पैतृक होने के संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा स्वयं प्रतिपरीक्षण की कंडिका 09 में स्वीकार किया है कि उसे पूर्वजों द्वारा बनाई गई भूमि का कोई राजस्व अभिलेख देखने को नहीं मिला। उक्त आशय के ही कथन शेष वादी साक्षियों द्वारा किये गये हैं। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा भी वादग्रस्त भूमि के स्व-अर्जित होने के संबंध में मौखिक औपचारिक कथन कर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, तथापि प्रारंभिक सबूत का भार वादी पर है, जिसमें वह पूर्णतः विफल रही है। इसके द्वारा वादग्रस्त भूमि के पूर्व के कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अपितु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में पांचसाला खसरा वर्ष 1992-93 से 96-97 प्र.डी.02 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूमि केवल प्रतिवादी पूरनसिंह के नाम पर दर्ज होना दर्शित है, जिससे प्रतिवादीगण के अभिवचन अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

**20—** हिन्दू विधि में संपत्ति के संयुक्त होने के संबंध में कोई उपधारणा नहीं है तथा कोई संपत्ति संयुक्त परिवार में रहते हुए भी स्व-अर्जित हो सकती है। दावा

करने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि संपत्ति पैतृक है अथवा पैतृक संपत्ति के संसाधनों द्वारा बनाई गई है। जैसे ही यह दर्शित कर दिया जाता है, सबूत का भार विपक्षी पर चला जाता है कि वह यह दर्शित करे कि उसके द्वारा किया गया संपत्ति का अंतरण सद्भाविक है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत कृष्णाराव कांगो वि० नारायण देवजी कांगो व अन्य ए.आई.आर.1954 एस.सी.379, रुकमाबाई वि० लाला लक्ष्मी नारायण व अन्य ए.आई.आर., 1960 एस.सी.335 एवं सुरेन्द्र कुमार वि० फूलचंद (मृत) द्वारा विधिक वारसान व अन्य (1996)2एस.सी.सी.491 अवलोकनीय है। उक्त स्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में प्रारंभिक भार वादी पर है कि वह यह दर्शित करे कि संपत्ति पैतृक है। वह संपत्ति के स्व-अर्जित होने के संबंध में प्रतिवादी की कमी का लाभ नहीं ले सकती। खसरा प्र.डी.02 से संपत्ति पूरनसिंह की स्व-अर्जित होने की उपधारणा की जा सकती है। स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में स्वामी को उसके व्ययन का पूर्ण अधिकार होता है। सहदायिकी का कोई भी व्यक्ति जन्म से उस पर कोई अधिकार नहीं रखता, स्वामी अपनी इच्छानुसार उसे विक्रय, दान अथवा अन्य अंतरण करने का अधिकार रखता है। उक्त संपत्ति विभाजन की दायी नहीं होती तथा मरणोपरांत ही उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। प्रकरण में वादी यह दर्शित करने में असफल रही है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर उसके किसी अधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। साक्ष्य विवेचना से वादग्रस्त भूमि स्व-अर्जित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पूरनसिंह द्वारा स्वयं की संपत्ति के किये गये अंतरण को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा आक्षेपित विक्रय पत्रों के अनुप्रमाणन साक्षी चंद्रपाल प्र.सा.03 की साक्ष्य कराई गई है, जिसने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में रजिस्ट्री के समय विधि अनुसार अनुप्रमाणन करना व्यक्त किया है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01, 02 व 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

#### **विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-04 का निष्कर्ष:-**

**21-** वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई अधिकार दर्शित नहीं है तथा प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2011, 30.10.2012 एवं 27.09.2013 विधि अनुरूप दर्शित है। प्र.पी.04, प्र.पी.05 व प्र.पी.06 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त संशोधन म.प्र. भू.रा.सं. के परिपालन में क्रय उपरांत दर्ज किये गये हैं। तत्पश्चात उक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप वर्तमान राजस्व प्रलेखों में प्रतिवादीगण का नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में उक्त संशोधनों के विधि-विरुद्ध होने के संबंध में कोई उपधारणा

नहीं की जा सकती, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

**विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 08 का निष्कर्ष:-**

**सहायता एवं व्यय:-**

**22-** उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

अ-वादी द्वारा वाद व्यय वहन किया जावेगा।

ब-अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.